(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7262–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2007 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, इन्दौर प्रकरण कमांक 209/बी–105/2001–02/33.

पुरूषोत्तम मोदी पिता हीरालाल मोदी
निवासी 61, आर.एन. टी. मार्ग, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा जिला पंजीयक एवं
मुद्रांक संग्राहक (कलेक्टर आफ स्टाम्प) इन्दौर .....अनावेदक

श्री अनिल जैन, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम पीपल्याराव स्थित कृषि भूमि खसरा कमांक 111 रकबा 1.03 एकड़ भूमि के संबंध में श्रीमती बसंती देवी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित दान पत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किन्तु उक्त दान पुत्र गुम होने जाने पर आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उसके पक्ष में पुनः दान पत्र निष्पादित कराया जाकर पंजीयन हेतु उप पंजीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उप पंजीयक कार्यालय में उक्त दस्तावेज कमांक 3267 (च) दिनांक 9–2–2001 पर पंजीकृत हुआ है। दान की गई सम्पत्ति के बार मूल्य के संबंध में उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, इन्दौर को प्रकरण भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 1186/बी–103/2000–01/47(क) 3 में आदेश पारित किया

गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील कमांक 112/अपील/स्टांप/2010–11 आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–2–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । तत्पश्चात आवेदक द्वारा देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक शुल्क जमा किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं अतिरिक्त तहसीलदार (वसूली) इन्दौर द्वारा दिनांक 10–10–2016 को जारी मांग सूचना पत्र की तामीली आवेदक पर होने पर उसके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण कमांक 209/बी–105/2001–02/33 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2007 की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 9–11–2016 को प्राप्त कर इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 18–1–2017 को 9 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) आदेशिका दिनांक 30–3–2007 में उप पंजीयक द्वारा पृथक से आदेश पारित करने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में पृथक से कोई आदेश पारित हीं नहीं किया गया है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि आवेदक को सुनवाई हेतु कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं की गई है । विवादित आदेश की जानकारी आवेदक को दिनांक 19–10–2016 को : कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा मांग सूचना पत्र जारी करने के कारण हुई । आवेदक द्वारा इसी दिनांक को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो उसे दिनांक 9–11–2016 को प्राप्त हुई । इस प्रकार आवेदक द्वारा जानकारी के दिनांक से समयावधि में निगरानी प्रस्तुत की गई है । यदि प्रकरण प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब माना भी जाये तो भी उसे क्षमा कर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाये । विलम्ब क्षमा करने के संबंध में ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1353 एवं 2001 (IV)के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(3) गुम चुके दान पत्र के पश्चात नवीन दान पत्र निष्पादित व पंजीकृत हो जाने के कारण निरर्थक व निष्प्रभावी प्रलेख के आधार पर : कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण में

पारित निगरानीग्रस्त आदेश शून्यवत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में ए.आई.आर. 1954 सुप्रीम कोर्ट 340 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(4) मुद्रांक अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में यह सुस्थापित विधि की स्थिति है कि प्रमाण भार उप पंजीयक अर्थात शासन पर होता है । प्रकरण में उप पंजीयक के कथन अभिलिखित नहीं किये गये हैं । इस स्थिति में साक्ष्य के अभाव में पारित आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधिनियम की धारा 33 व 40 के प्रावधानों के प्रकाश में : कलेक्टर आफ स्टाम्प को मूल प्रकरण तलब करना आवश्यक होता है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा मूल प्रलेखके अभाव में पारित आदेश अविधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) : कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश सकारण व औचित्यपूर्ण आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । पृथक से पारित आदेश का अस्तित्व भी प्रकरण में विद्यमान नहीं है । परिणामतः आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) : कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों को संसूचित भी नहीं किया गया है । अवधि का आरंभ आदेश संसूचित न किये जाने की स्थिति में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से होगा । इस तर्क के समर्थन में 2005 आर.एन. 348 एवं 2008 आर.एन. 119 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में बताये गये कारणों को देखते हुए विलम्ब से छूट मान्य की जाती है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया है कि नया दान पत्र पंजीकृत होने से पुराना निष्प्रभावी हो गया है और आवेदक को उक्त तथ्य कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2007 निरस्त किया जाता है । प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर